# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 522/2022

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1. जोगाराम पुत्र [illegible] जाट निवासी– ग्राम दईजर तहसील व जिला जोधपुर।<br>2. कालूराम पुत्र श्री मेहराराम मेघवाल, निवासी– ग्राम दईजर तहसील व जिला जोधपुर। | | 1. कैलाशचन्द्र पुत्र किशनचन्द<br>2. रमेशचन्द्र पुत्र किशनचन्द<br>3. राजेशचन्द पुत्र किशनचन्द जातियान महाजन निवासी– मकान संख्या 70 नेहरू पार्क, जोधपुर। |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय अपर जिला कलेक्टर, प्रथम जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 02/2020 अनवान जोगाराम वगैराह बनाम कैलाशचन्द्र वगैराह में दिनांक 29/07/2021 को पारित किया गया**

उपस्थितिः–

1– श्री सोनाराम चौधरी, श्री अक्षयदवे अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से ।

2– श्री महेन्द कुमार डूडी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से।

## निर्णय

दिनांक 24 नवम्बर,2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राज0 भू राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम), 1970 के तहत आवंटन कमेटी द्वारा राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 173 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि जो कि रास्ते की भूमि थी व है एवं राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में वक्त सैटलमेन्ट सें दर्ज है एवं उसी अनुरूप रास्ते के रूप में आमजन द्वारा उपयोग व उपभोग की जा रही है जिसका राजस्व नक्शे में भी इसी अनुसार इन्द्राज भी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खसरा नं0 173 की भूमि आवंटन से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि को आवंटन व नियमन नहीं किया जा सकता था किन्तु प्रत्यर्थीगण के पिता श्री किशनचंद को दिनांक 10.10.1977 को विधिक प्रावधानों के विरूद्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

रीडर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

जाते हुए अवैध व अनाधिकार रूप से षडयंत्रपूर्वक आवंटित की गयी। क्षेत्राधिकार के अभाव में ऐसा आदेश प्रारम्भतः प्रभाव शून्य आदेश है जिसे चुनौति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

वर्तमान जोधपुर शहर के मास्टर प्लॉन के अनुसार जोधपुर से मथानिया जाने वाली स्टेट हाईवे के रूप में दर्शित वादग्रस्त सड़क की चौडाई 200 फुट स्वीकृत है किन्तु प्रत्यर्थीग्ण अवैध आदेश की आड़ में उक्त रास्ते की भूमि को आवंटन करवाने के उपरानत किस्म बारानी दर्ज कर दी गई और उसका बेचान किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि का आवंटन भी बिना कब्जे के नियम विरूद्व किया गया है। तहसीलदार को किस्म परिवर्तन का क्षैत्राधिकार भी नहीं है न ही ऐसा कोई आदेश भी पत्रावली के साथ संलग्न है ऐसी स्थिति में खसरा न0 173 ग्राम दईजर की भूमि का किशनचंद के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रत्यर्थीगण द्वारा तामिल होने के उपरांत आपतियां प्रस्तुत करते हुए मिथ्या आरोप लगाते हुए वादग्रस्त खसरा नं0 173 की भूमि का कभी भी रास्ते का स्वरूप नहीं होने एवं विधिवत रूप से आवंटन किये जाने का कथन करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को उद्वापित करने के आशय से मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य, मास्टर प्लान के विरूद्व जाते हुए वादग्रस्त जोधपुर मथानिया स्टेट हाइवे को 200 फुट के स्थान पर 100 फुट बतलाने का प्रयास भी किया गया एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के अनुतोष की मांग की गयी है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों के विरूद्व जाते हुए किसी प्रकार की कोई विवेचना किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया है। स्वीकृत रूप से राजस्व रेकर्ड में भूमि की किस्म रास्ते के रूप में दर्ज रही है। तहसीलदार को किसी प्रकार की कोई भूमि की किस्म परिवर्तित करने का अधिकार भी नहीं था। क्षैत्राधिकार विहिन रूप से पारित आदेश जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश को समर्थित करने में गंभीर एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की है जिस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है।

प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति ली गई थी कि उपरोक्त प्रकरण किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और दिनांक 10.10.1977 का भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था उपरोक्त खसरा रास्ते का भूभाग नहीं था व न है। केवल मात्र ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से मौजूदा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है, उक्त सडक की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर



रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

चौडाई 100 फीट है और उसी के अनुरूप बेचाननामें के दस्तावेज तहरीर व तकमिल किये गये है। ऐसे में अपीलान्टस की ओर से पेश प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि का कृषि उपयोग लिये जाने के संबध में दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये किन्तु उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विरूद्व जाते हुए आलौच्य निर्णय पारित करने में गंभीर विधिक एव तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जिस कारण आलौच्य ओदश निरस्त योग्य है। समस्त ग्रामवासी ग्राम बासनी लाछा से मण्डोर जाने हेतु रास्ते के रूप में ख0सं0 173 को चिन्हित कर रखा है उस भूमि को किस प्रकार नियमन आवंटन किया जा सकता है चूंकि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 6 के अनुसार उपयोग के लिये नियत जिसको किसी भी प्रकार से खातेदारी हेतु आवंटित नहीं जा सकती है उसके उपरान्त भी ऐसा किसी प्रकार विवेचन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है ऐसे में अपीलाधीन आदेश में भारी विधिक त्रुटि कारित की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन है कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी प्रारम्भतः प्रभाव शून्य आदेश को चुनौति देने के लिये विधि के तहत किसी प्रकार की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शरीफ के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार से अतिकमण नहीं किया जा सकता है व न ही किसी प्रकार से नियमन किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में 44 वर्ष पश्चात प्रकरण प्रस्तुत किये जाने का जो कथन किया गया है वो पूर्ण गलत तरीके से किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई म्याद बाधित हो ही नहीं सकता था किन्तु उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को म्याद बाधित मानने में गंभीर विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है एवं अपीलान्ट की ओर से पेश न्यायिक दृष्टान्तों का विवेचन तक नहीं किया गया है जिस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजूदा प्रकरण में भंवराराम पुत्र सुरजाराम द्वारा धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें ख0सं0 173 का कोई अस्तित्व नहीं होना बताया गया। उपरोक्त दोनों प्रकरण किस प्रकार से समानान्तर है एवं भंवराराम द्वारा किये गये कथनों से अपीलार्थीगण किस प्रकार से बाध्य है और अपीलाधीन आदेश में इसका

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रमाणित कोठो प्रतिलिपि



रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विवेचन किये जाने का क्या औचित्य रहा है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया कि राजस्व रेकर्ड से यह सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि रास्ते की भूमि है जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवंटन एवं नियमन से प्रतिबधित है किन्तु इस महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों को अनदेखी करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूख अपनाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। कृषि भूमि के आवंटन हेतु आवंटी को भूमिहीन कृषक होना एक पूर्ववर्ती शर्त है। बरवक्त आवंटन आवंटी श्री किशनचंद जो कि खसरा न0 175 रकबा 18 बीघा, ख0 न0 219 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा, खसरा न0 116 रकबा 2 बिस्वा , ख0 न0 174 रकबा 5 बीघा, ख0 न0 288 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख0 न0 290 रकबा 24 बीघा 8 बिस्वा कुल 75 बीघा 5 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार था जो कतई भूमिहीन की श्रेणी में नही आता था। ऐसी स्थिति में आवेदक किशनचंद किसी भी आवंटन की शर्तों का पालन नही करता था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस के अपने पक्ष में हुए आवंटन आदेश के दस्तावेज पेश नहीं किये गये और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में ऐसा कोई विवेचन किया है। माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त (2) 2000 (2) डीएनजे पेज 438 अवलोकनार्थ पेश है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया कि आवंटी श्री किशनचन्द के द्वारा शर्तों के विरूद्व मिथ्या तथ्यों के आधार पर एवं झूठी उद्वघोषणा करवाकर किया गया आवंटन निरस्त योग्य होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की ओर से पेश उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करनें में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। जिस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व मंडल के निर्देशानुसार हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जोधपुर के स्वयं के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जाना वाछित है किन्तु प्रकरण में माननीय राजस्व मंडल के निर्देशों के विरूद्व जाते हुए हल्का पटवारी द्वारा मौके की जांच किये बिना प्रत्यर्थीगण से साठ गांठ कर समस्त पक्षकारान् को सूचित किये बिना मौका जॉच कर मौका रिपोर्ट मौके की स्थिति के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जो कतई विश्वसनीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जिस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की और से दुर्भावनापूर्वक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना मानने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए दस्तावेजों

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि



सेवक
कार्यालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से मास्टर प्लान के अनुसार वादग्रस्त खसरा भूमि में रास्ते की चौडाई 200 फुट का होना सिद्व है किन्तु उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर 100 फुट का रास्ता मान लिया जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी के प्रकरण में पारित दिशा निर्देश कि स्टेट हाइवे, नेशनल हाइवे के दोनों तरफ 100–100 फीट ग्रीन पटटी रखे जाने का निर्देश दिया गया है, के विरूद्व जाते हुए वादग्रस्त भूमि को रास्ता मानने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जिस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा न0 174 तथा 175 की खातेदारी भूमि से 14–14 बिस्वा भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में दिनांक 10.10.1977 को अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया गया है जिसमें मुआवजे की राशि नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के तौर पर खसरा न0 173 की भूमि का आवंटन किया जाना मानने में भी गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। खसरा न0 173 की भूमि रास्ते की भूमि है जो आवंटन के योग्य ही नहीं थी।

अपीलार्थी पक्ष की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अनेक न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये है जिनमें से आंशिक न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख अवश्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में किया गया है किन्तु उस संबंध में किसी प्रकार की कोई विधिवत विवेचना भी नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। अपीलार्थी अपने मौखिक बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते है यथा RLR 1991(1) 84, 2009 RRD 574 HC (DB), 2017(1) DNJ-147

अपीलान्ट की ओर से की गई मौखिक बहस के समर्थन में लिखित तर्क प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा प्रत्यर्थीगण के पिता किशनचंद के हक मे ग्राम दईजर के खसरा न0 173 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 10.10.1977 निरस्त फरमाया जावें।

प्रत्युतर मे रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि अपीलार्थीगण ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर शुरू से ही हितबद्ध होनें के बावजूद भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर तत्कालीन आवंटन कमेटी के द्वारा दिनांक 10.10.1977 के जरिये ग्राम दईजर के ख0सं0 173 के रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा रास्ते की भूमि का आवंटन/नियमन प्रत्यर्थीगण के पूर्वज किशनचन्द पुत्र पूनमचन्द के नाम से जारी किया गया जिसे निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया और नोटिस जारी किये जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपना विस्तृत जवाब,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ख0सं0 177 के खातेदारान के द्वारा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में करवाये गये बेचाननामें व सहखातेदार द्वारा अपीलार्थी संख्या 02 के चचेरे भाई द्वारा ख0सं0 173 की भूमि पर अपना कब्जा होने व उस भूमि पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 46/2020 सहायक कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, परन्तु उसमें सफलता न मिलने पर उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व तहसीलदार जोधपुर से वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना कि अपीलार्थीगण संख्या 2 व उसके पूर्व हकधारियों को उक्त आवंटन की शुरू से ही जानकारी रही है क्योंकि अपीलान्ट स्वयं के कृषि भूमि इसी खसरे के पास की भूमि ख0सं0 177 में रही है व उसके खातेदारान है। अन्य खातेदारान के द्वारा ख0सं0 173 की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने व उसे बरकरार रखने की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट मत से कि उक्त ख0सं0 173 की भूमि कभी भी रास्ते की भूमि के रूप में उपयोग में नहीं ली गई और मौका रिपोर्ट अनुसार भी उक्त भूमि सडक सीमा से 100 फीट भूमि के पश्चात स्थित है। ख0सं0 173 का भी सर्वसम्मति से आवंटन कमेटी द्वारा नियमन किया गया है। उक्त नियमन इसलिये भी उचित है कि दिनांक 10.10.1977 को ही प्रत्यर्थी की भूमि खातेदारी के ख0सं0 174 व 175 में से 14–14 बिस्वा भूमि सार्व0 निर्माण विभाग के नाम दर्ज की थी व ख0सं0 173 पर कब्जा होने से व भूमि का बिना मुआवजा के लिये जाने के कारण ही रेस्पोडेन्टस के पिता को आवंटन किया गया था। अपीलार्थी द्वारा ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र एवं यह अपील पेश की गई है जो अस्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में विधि अनुरूप विवेचन व प्रस्तुत निर्णयों के आधार पर ही बहुत ही रिजण्ड एवं स्पिकिंग आदेश पारित किया गया है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 2 जो ख0सं0 177 का सहखातेदार के द्वारा ख0सं0 173 की लगभग 2500 वर्गफीट की भूमि पर अवैध कब्जा किया जाकर वहॉ पर अवैध दुकानों व अन्य निर्माण कार्य करवायें गये है जिसकी ताईद मौका रिपोर्ट दिनांक 22.6.2021 से हो रही है, इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा लगभग 45 वर्ष पश्चात उक्त आवंटन आदेश को चुनौती दी गई है जो अपना हित साधने के उद्देश्य से पेश की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एआईआर 1977 एससी पेज 282 मे यह स्पष्ट किया है कि जहॉ पर विशिष्ट कानून में भी प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है वहॉ पर भी आर्टिकल 136 म्याद अधिनियम लागू

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर



रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

होता है तथा एआईआर 1991 एससी पेज 2219 में भी कोई भी प्रार्थना पत्र वाद जिसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है वहाँ पर भी धारा 03 म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू होगे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त आंवटन आदेश की पालना में नामा0 संख्या 335 स्वीकृत हुआ तत्पश्चात उक्त ख0सं 173 की पैमाइश तहसीलदार जोधपुर से दिनांक 18.12.2019 को करवाते हुए राजस्व नक्शा जारी किया गया, तब अपीलार्थी संख्या 2 के द्वारा उक्त कब्जा किये जाने की जानकारी सामने आई, और अपीलान्ट संख्या 2 के द्वारा कब्जे के आधार पर ख0सं0 177 की भूमि में दो भूखण्ड संख्या 15 व 16 का बेचान प्रकाशचन्द्र को कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के संलग्न अपीलाधीन आंवटन/नियमन आदेश की कोई प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई और न ही और किसी प्रकार से ऐसा आदेश पत्रावली पर आया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट राजेशचन्द स्वयं का शपथपत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किये व कथन किया कि ख0सं0 173 की भूमि की भी रास्ते की भूमि नहीं थी और यह भूमि रास्ते की भूमि हटकर है क्योंकि जोधपुर मथानिया जाने वाली सडक की चौडाई 100 फीट और उक्त सडक को छोडकर ही यह भूमि स्थित है तथा भूमि पर रेस्पोडेन्टस के पिता स्व0 किशनचन्द का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा था जिसकी ताईद प्रकरण संख्या 388/85 दिनांक 28.12.1985 को पारित आदेश जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकन है कि ख0सं0 173 की भूमि पर आवंटन से पूर्व 04 बीघा 16 बिस्वा जमीन पर कब्जा था इसी कारण से धारा 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज प्रकरण को ड्रॉप किया गया तत्पश्चात ख0सं0 174/1 व 175/1 सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सडक के रूप में नामा0 संख्या 340 दर्ज किया गया जो रेस्पोडेन्ट की भूमि से अलग छोडकर थी, फलस्वरूप आवंटन समिति द्वारा इन तमाम परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए ख0सं0 173 की भूमि को आवंटित करने का विधिवत निर्णय लिया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी संख्या 2 कालूराम व भंवराराम जो चचेरे भाई है आपस में पूर्ण रूप से मिलीभगत कर उक्त प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन निरस्त करने का प्रस्तुत किया है। भंवराराम एक तरफ ख0सं0 173 की कोई भूमि होना मान नहीं रहा है तथा उक्त भूमि पर ख0सं0 177 के खातेदारों का ही कब्जा बता रहा है तथा उसके विपरित उसका ही भाई कालूराम ख0सं0 173 को सडक भू भाग बता रहा है जिबकी दोनों प्रकरणों में एक ही अधिवक्ता है जो इस तथ्य को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि



रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इंगित कर रहा है कि ख0सं0 177 के उक्त दोनों सहखातेदान अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण की उक्त भूमि को हडप करने की नियत से अपनी मनमर्जी से तथ्य अंकित कर नाजायज कब्जा करने की नियत से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया था जो इसी बिनाय पर काबिल खारिज के है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनेक निर्णय नजीरों में यह प्रतिपादित किया है कि कोई भी पक्षकार जो न्यायालय में अनुतोष चाहता है वह स्वच्छ हाथों से बिना किसी तथ्यों को छुपाते हुए ही आना चाहिये, यदि जानबूझकर तथ्यों को छुपाता है तो वह न्यायालय में साफ तौर पर फर्जी/जालसाजी माना जाता है। उक्त प्रकरण भी इसी के तहत तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार किया गया है, उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से विधि के विवेचन करने व सभी प्रकार से दस्तावेजों के अवलोकन करने के उपरान्त ही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावें।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलान्टा के द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्टस के पिता स्व0 किशनचन्द को दिनांक 10.10.1977 को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा किये गये जारी आवंटन आदेश में ग्राम दईजर के ख0सं0 173 में भूमि आवंटन/नियमन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के समक्ष पेश किये गये प्रार्थना पत्र संख्या 02/2020 को दिनांक 29.07.2021 को अस्वीकार किये जाने पर न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने समक्ष प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से पेश हुए प्रार्थना पत्र को 44 वर्ष पश्चात विलम्ब से पेश होने यानि प्रार्थना पत्र करने हेतु निर्धारित प्रथम म्याद अवधि गुजर जाने के पश्चात पेश होना माना है जो पूर्णतया उचित प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1977 में वादग्रस्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 10.10.1977 को प्रार्थी श्री किशनचन्द के पक्ष में सर्वसम्मति से नियमन किया जाना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 173 की भूमि का रास्ते में कभी उपयोग में नहीं दर्शाया गया तथा सडक सीमा की 100 फीट भूमि के पश्चात स्थित होना बताया है। अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त भूमि से किस प्रकार से प्रभावित पक्षकार/काश्तकार व्यक्ति है, ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य सबूत पेश नहीं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया है। अपीलान्टस की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष पेश इस अपील में उठाये गये सभी बिन्दूओं/पहलुओ पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व में गहनता से विस्तृत निर्णय लेकर प्रार्थी/अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने अन्तिम निर्णय दिया गया है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किय गये अपीलाधीन आदेश म किसी प्रकार की कोई गुजांइश नहीं रहती है। इस आधार पर अपीलान्टस की यह अपील सारहीन होने से अस्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विश्लेषण करने व विवेचन करने के उपरान्त अपीलान्टस की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2021 को यथावत बहाल रखा जाता है निर्णय आज दिनांक 24 नवम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रमाणित कोठो प्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर